वाणिज्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) इस भारत से निर्यात किये जाने वाले मसालों की मुख्य मदें हैं:— काली मिर्च, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, सफेद जीरा, सेलेरी, मंगरैला, मेथी, सौंआ, अजवायन, सौंफ, लहसून, हींग, इमली, केसर, करी पाउडर तथा मसाला तेल एवं ओलियो रेसिन।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:—

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु० में)
1992-93	418.64
1993-94 (अ०) . .	547.25
1994-95 (अनु०) . .	607.34

(अ०) — अनन्तिम
(अनु०) — अनुमान
स्रोतः मसाला बोर्ड।

(ग) और (घ) भारत से 140 से भी अधिक देशों को मसालों का निर्यात किया जाता है। प्रमुख देश-वार निर्यातों का विस्तृत-विवरण अनुबंध में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 174, अनुपत्र सं० 5)

अतिथि नियंत्रण आदेश का रद्द किया जाना

93. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अतिथि नियंत्रण आदेश रद्द करने का आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने इस आदेश का अनुपालन किया है;

(ग) क्या यह आदेश सरकारी पूल में गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार होने के कारण जारी किया गया है;

(घ) क्या सरकार सरकारी पूल में गेहूं और चावल की मात्रा में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ङ) क्या सरकार गेहूं और चावल की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड द्वारा प्रति व्यक्ति/उपभोक्ता को दिए जाने वाले गेहूं और चावल की मात्रा में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो इनकी कितनी मात्रा में वृद्धि किए जाने की संभावना है और उसे कब से लागू किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) अब तक 16 राज्यों को सूचित किया है कि उन्होंने अतिथि नियंत्रण आदेश रद्द कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, राज्य सरकारों की मांग और उठान प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के मासिक आवंटन किए जाते हैं। राज्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु समग्र रूप से खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं। पात्रता मानदंड, प्रति माह प्रति व्यक्ति जारी की जाने वाली राशन की मात्रा आदि के संबंध में निर्णय लेने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को यह सुझाव दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह प्रति कार्ड 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध रहे।

Quality of foodgrains in the market

94. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether better quality of wheat and rice was available in the market in comparison to that released by the Food Corporation of India to PDS;

(b) if so, whether government are contemplating to set up a national market of foodgrains so that the said Corporation could earn profit and subsidy could be reduced; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) Food Corporation of India procures Fair Average Quality foodgrains conforming

to uniform specifications prescribed by the Government of India. A & B category foodgrains conforming to PFA standards are issued for Public Distribution System in the country. In the market, foodgrains of different varieties and quality standards as per the preference of consumers are available at different prices. There is not proposal under consideration with the Government to set up a National Market of foodgrains.

Rise in prices of foodgrains

95. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the rise in prices of foodgrains (rice, wheat, pulses) from July 1991 to June 1995; year-wise; and

(b) the steps Government propose to take to safeguard the interests of the common people from the adverse effects of price rise?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) A statement showing the variation in wholesale Prices Indices of foodgrains (rice, wheat, pulses) for the period from july, 1991 to June, 1995 is enclosed (*see* blelow),

(b) The Government has accorded the highest priority for containing the price levels in general and the price levels of essential items in particular. Food Corporation of India has stepped up the open market sale operations of rice and wheat at selected Centres. The Revamped Public Distribution System is in operation since 1992, through which rice and wheat are being supplied at rates lower than the open market prices. In the case of pulses, apart from taking measures to increase the domestic production of pulses, the Government has permitted the import of pulses under OGL to augment the supply and make them available to common man at reasonable prices. The custom duty on import of pulses has also been reduced from 10 percent to 5 percent to augment the imports. Pulses are also being supplied through the retail outlets of cooperative stores, Kendriya Bhandar and State Civil Supplies Corporation.

Statement

Percentage variation in the wholesale price index number of foodgrains between 1991 July and 1995 June (yearwise)

Commodity	Percentage variation between July and June			
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
Rice	+29.0	−0.6	+44.9	+8.7
Wheat	+27.5	+7.7	+11.8	−1.0
Pulses (Sub-Group)	+5.4	+4.6	+25.6	+17.1